

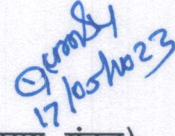
बिहार सरकार
विधि विभाग
अल्पकालीन नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विधि विभाग, बिहार, पटना के पुराना सचिवालय परिसर में निम्नयोजित पड़े 02 वाहनों की नीलामी "जहाँ है जैसे है" के आधार पर खुली डाक द्वारा दिनांक 26.05.2023 को 10:30(पूर्वाह्न) बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक श्री बलराम मंडल, अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में पुराना सचिवालय परिसर के विधि आयोग के कार्यालय कक्ष में विभागीय नीलामी समिति के समक्ष नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। नीलामी योग्य वाहनों की सूची निम्नवत् है:-

क्र०	निबंधन संख्या	प्रकार	मॉडल	चेचिस नं०	इंजन नं०	मोटरयान निरीक्षक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य	जमानत की राशि
1.	BR-01PJ-1921	Innova Crysta	2018	MBJAA3EM900780863	1GDA165323	2,25,000/-	1,00,000/-
2.	BR-01PJ-1925	Innova Crysta	2018	MBJAA3EM500780780	1GDA164658	2,25,000/-	1,00,000/-

नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार है:-

- पुराना सचिवालय परिसर में उक्त वाहनों के नीलामी "जहाँ है जैसे है" के आधार पर श्री बलराम मंडल, अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना के समक्ष खुली डाक द्वारा उच्चतम डाक वक्ता के साथ की जाएगी।
- डाक बोलने के पूर्व इच्छुक डाक वक्ता को वाहन के सामने दर्शाये गये जमानत की राशि अलग-अलग जमानत राशि के रूप में दिनांक 24.05.2023 एवं 25.05.2023 तक कार्य अवधि में जमा करना होगा।
- वाहनों की नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत की राशि D.D. (डिमाण्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से जमा की जायेगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट "UNDER SEC-CUM-DDO, LAW DEPTT, BIHAR, PATNA" PAYABLE AT PATNA के पक्ष में बनायी जानी है।
- उच्चतम डाक वक्ता को छोड़कर शेष डाक वक्ता की जमानत की राशि नीलामी प्रक्रिया के अगले दिन राशि वापस कर दी जायेगी।
- उच्चतम डाक वक्ता को डाक समाप्ति के उपरांत आकलित राशि एकमुस्त नकद जमा करना होगा।
- उच्चतम डाक की बोली बोलकर डाक नहीं लेने वाले व्यक्ति की जमानत की राशि जप्त कर ली जाएगी।
- उच्चतम राशि वक्ता को 5(पाँच) दिनों के अंदर नीलामी किये गये सामान को यथा स्थान से ले जाना होगा।
- समिति के सदस्यों को बिना कारण बताये डाक को निलंबित करने, स्थगित करने, तिथि बढ़ाने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- विस्तृत जानकारी के लिए श्री बलराम मंडल, अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना से सम्पर्क कर सकते हैं।


(बलराम मंडल)

अवर सचिव,
विधि विभाग, बिहार, पटना।

आपांन- सं. नॉ० लेखा० 30-अ/21/3735 / जे० दिनांक 17.5.23